न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस

विभागीय अपील संख्या 04/2019

अपीलान्टस	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
त्रिलोकचन्द्र वैष्णव, तत0 तहसीलदार लूणी हाल– सेवानिवृत		जिला कलेक्टर जोधपुर

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.(सी–18)17 सीसीए(1)/294/16/स्था/2018/127 दिनांक 3.4.2018 बाबत एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितिः––

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, लूणी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः   सितम्बर, 2019

1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.4.2018 के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत अपीलान्ट को उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर यह अपील राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 30.7.2018 को प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर जोधपुर से अपील पर टिप्पणी एवं उनका मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. तत्पश्चात अपीलान्ट को सुना गया। अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपीलाधीन दण्डादेश दिनांक 3.4.3018 को प्रसारित किया गया है जो पश्चातवर्ती तिथी

अंकित करते हुए पारित किया गया है। अगर दण्डादेश कार्यालय समय या कार्य अवधि में पारित किया जाता तो निश्चित रूप से यह आदेश दिनांक 28.3.2018 को ही प्रसारित हो जाता क्योंकि राजकीय कार्यालयों में दिनांक 29.3.2018 से दिनांक 1.4.2018 तक राजकीय अवकाश था। जबकि रिकार्ड से स्वतः प्रकट होता है कि जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा पश्चातवर्ती तिथी दिनांक 28.3.2018 अंकित करते हुए दिनांक 3.4.2018 को प्रसारित किया गया है जो अपीलान्ट की राज्य सेवा से दिनांक 28.3.2018 को सेवानिवृति हो जाने के कारण क्रियान्वयन योग्य नहीं होने से निरस्त करने योग्य है।

4. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर रखी थी जबकि निर्णय पारित करते समय सीसीए नियम 16 का दण्डादेश अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किया गया है जो जिला कलेक्टर जोधपुर के क्षेत्राधिकार के तहत ऐसा नहीं कर सकते थे। ऐसे में पारित दण्डादेश राज्य सरकार के सीसीए नियम 1958 में प्रदत्त निर्देश/निर्णय अनुसार प्रारम्भ से प्रभावहीन व शून्य है। ऐसे में उसकी क्रियान्विति होना असंभव है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा यह आरोप आरोपित किया गया था कि '' आप श्री त्रिलोकचन्द वैष्णव, तहसीलदार लूणी के पद पर दिनांक 24.4.2016 से कार्यरत है। राजस्व अधिकारियों की बैठक दिनांक 28.8.2018 को आयोजित की गई। उक्त बैठक में आपसे लूणी तहसील क्षेत्र में धारा 91 अन्तर्गत दर्ज, निस्तारण एवं अवशेष प्रकरणों की जानकारी देने हेतु निर्देशित किये जाने पर आपने अवगत कराया कि तहसील लूणी में धारा 91 के तहत 4 प्रकरण दर्ज किये गये एवं 1 प्रकरण वर्तमान में लम्बित है जिसमें अतिक्रमी द्वारा पक्का निर्माण करवाया जा रहा है। पश्चातवर्ती दर्ज, निस्तारण व अवशेष प्रकरणों की जानकारी चाही जाने पर आपने उक्त प्रकरण शून्य अवगत कराये। इस सम्बन्ध में आपसे विस्तृत जानकारी चाही तब आपने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इससे जाहिर होता है कि आपके द्वारा तहसील लूणी में धारा 91 के तहत प्रकरणों की ओर वांछित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तथा गत बैठक दिनांक 16.7.16 में दिये गये निर्देशानुसार आपने पालना

रिपोर्ट भी प्रस्तुत नही की है। आपका उक्त कृत्य राजकार्य के प्रति उदासीनता, शिथिलता व उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने व गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है जिसके लिये आराको दोषारोपित किया जाता है।''

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि उक्त आरोपित आरोप के सम्बन्ध में दिनांक 9.2.2018 को अपना यह प्रत्युतर दिया था कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.6.2016 को अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर उक्त दिनांक को ही धारा 91 के तहत प्रकरणसंख्या 7/2016 सरकार बनाम केशाराम निवासी–लूणी के विरूद्ध दर्ज करते हुए अप्रार्थी को नोटिस जारी किया तथा राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत राजकीय भूमि पर निर्माण नहीं करने के सम्बन्ध में आगामी आदेश तक स्थगन आदेश जारी किया गया। तब अप्रार्थी के द्वारा निर्माण करने हेतु स्वीकृति चाही गई जो उनके द्वारा जारी नहीं की गई तथा अप्रार्थी की राजकीय भूमि से बेदखली का आदेश जारी किया गया। इसके अलावा राजस्व अधिकारियों की गत बैठक की कार्यवाही पालना रिपोर्ट दिनांक 15.11.2016 को ही जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दी गई। इस प्रकार अपीलान्ट ने अतिक्रमण को रोके जाने में कोई ढिलाई नहीं बरती गई। अतः प्रकरण ड्रॉप करावें।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा इस प्रकार उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए संतोषजनक प्रत्युतर किया गया परन्तु श्रीमान जिला कलेक्टर ने तथ्यों को कन्सीडर नहीं कर अपीलान्ट को अपने अपीलाधीन आदेश से आनुपातिक दृष्टि से बहुत अधिक दण्ड से दण्डित यानि अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोक दी गई जो सीसीए नियम 17 के तहत नहीं रोकी जा सकती थी।

8. इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग (क–3) विभाग द्वाराजारी परिपत्र दिनांक 22.11.2001 अनुसार उसकी अनुसूचि ''स'' के पैरा संख्या 7 में अंकन अनुसार ''नियम 17 में सम्पादित जॉच कार्यवाही में तीन से अधिक असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियॉ रोकनी हो या संचयी प्रभाव से किसी भी कालावधि के लिये वेतनवृद्धियां रोकनी हो या जिससे उसे संदेश पेन्शन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो ऐसी स्थिति में नियम 16 में वर्णित रीति से जॉच कार्यवाही सम्पादित की

जानी होगी।'' ऐसे में श्रीमान जिला कलेक्टर के द्वारा सीसीए नियम 17 में पारित दण्डादेश नियम 17 की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

9. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि सीसीए नियम 20 की व्यवस्था के अनुसार भी अनुशासनिक अधिकारी द्वारा पालना नहीं की गई है। जिसमें पारित दण्डादेश की प्रति अपील प्राधिकारी को प्रेषित करते हुए उन्हें सूचित किये जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर सहानुभूति पूर्वक गौर करते हुए अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन दण्डादेश को निरस्त करते हुए अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जावें।

10. हमने अपीलान्ट के द्वारा प्रकट किये गये तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया। विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपीलान्ट के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही जो कि सीसीए नियम 17 के तहत सम्पादित की गई है, जबकि अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई है। यहॉ कार्मिक (क–3) विभाग, जयपुर की ओर से जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2001 का उल्लेख करना समीचीन होगा जिसमें नियम 17 व नियम 16 की कार्यवाही के पश्चात दण्डादेश सम्बन्धी निर्देशों का उल्लेख किया गया है। उसके कम संख्या 7 के अनुसार ''सीसीए नियम 17 में सम्पादित जॉच कार्यवाही में 3 से अधिक असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियॉ रोकनी हो या संचयी प्रभाव से किसी भी कालावधि के लिये वेतनवृद्धिया रोकनी हो या जिससे उसे संदेश पेन्शन की रकम पर प्रभाव पडे तो ऐसी स्थिति में नियम 16 में वर्णित सीसीए नियम 16 के तहत विभागीय कार्यवाही सम्पादित की जानी होगी।'' और कम सं0 8 के अनुसार '' कम गंभीर प्रकृति के आरोपों के सदंर्भ में विशेष रूप से दुराश्य नहीं होने की स्थिति में और प्रकियात्मक त्रुटियां आदि होने की असावधानी मात्र जॉच कार्यवाहीं में प्रमाणित होती है तो इस प्रकार के मामलों में कार्मिक विभाग ने परिपत्र दिनांक 26.11.1993 के अनुसार ''परिनिन्दा'' के दण्ड अधिरोपित किया जावें।''

11. विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही सीसीए नियम 17 में सम्पादित की गई है परन्तु दण्ड सीसीए नियम 17 की

बाध्यता से अधिक जाकर दण्डादेश पारित किया गया है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

12. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट तहसीलदार के विरूद्ध आरोपित आरोप का परीक्षण किया जाये तो उसमें ऐसी कोई गंभीर या दुराचरण सम्बन्धी अथवा गबन सम्बन्धी कृत्य कारित नहीं किया गया जिसके आधार पर उनकी वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकना आवश्यक रहा था। अपीलान्ट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही सम्पादित की गई है जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया है। अपीलान्ट की राज्यसेवा से निवृति दिनांक 31.3.2018 को होना और पारित दण्डादेश दिनांक 1.4.2018 को जारी होना भी अभिलेखों से प्रकट है। ऐसे में इस प्रकार का दण्डादेश दिया जाना और उसकी पालना होना सम्भव कैसे हो सकता है, इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है।

13. इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों एवं रेकर्ड का अवलोकन करने तथा उपरोक्त ऑर्ब्जवेशनों पर मनन करने के उपरान्त हम यह समझते है कि जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.4.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः परीक्षण एवं निर्णय हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.4.2018 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट अधिकारी के प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22.11.2001 में प्रदत निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः निर्णय लिये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16 सितम्बर, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर
क